न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 76/2019 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2019/000165

1. श्योकरण पुत्र चुन्नीराम जाति बावरी निवासी चक 52 एन.पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सतपाल पुत्र चुन्नीराम जाति बावरी निवासी चक 52 एन.पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मामकोरी तथाकथित पत्नी चुन्नीराम जाति बावरी निवासी चक 52 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगाानगर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नायव सिंह — अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर प्रसाद शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 एवं 2
एवं मधु कौशिक

निर्णय

दिनांकः 24.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 02.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमो के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 54 एन.पी तहसील रायसिंहनगर का पत्थर नंबर 247/332 का मुरब्बा नंबर 1 की 25 बीघा भूमि अपीलांट के पिता चुन्नीराम पुत्र रामूराम को आवंटित हुई। अपीलांट के पिता चुन्नीराम पुत्र रामूराम ने उक्त भूमि की एक वसीयत दिनांक 06.05.2006 को लिखवाई। जिसमें 8 बीघा भूमि उसके पुत्र सतपाल को व शेष 17 बीघा भूमि अपीलांट के नाम की गई। चुन्नीराम की मृत्यु दिनांक 30.08.2009 को हुई। चुन्नीराम की मृत्यु पश्चात तहसीलदार रायसिंहनगर ने वसीयत दिनांक 06.05.2006 के आधार पर उक्त वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 229 दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चुन्नीराम की एक अन्य वसीयत दिनांक 20.02.2009 प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष इंतकाल संख्या 229 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर उक्त अपील का निर्णय करते हुए इंतकाल संख्या 229 का निरस्त करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करने का निर्णय किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त आदेश दिनांक 02.05.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर ने पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए चुन्नीराम द्वारा की गई वसीयत दिनांक 06.05.2006 के आधार पर विवादित भूमि का इंतकाल संख्या 229 दर्ज किया जिसमें 8 बीघा भूमि उसके पुत्र सतपाल को व शेष 17 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की हैं। जिसका इंतद्राज जमाबंदी में हो चुका हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अनुसार मृतक चुन्नीराम द्वारा दूसरी वसीयत 20.02.2009 के अनुसार उक्त भूमि को 1/3 हिस्सों में बांटकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 8, 8 बीघा भूमि की और अपने हिस्से 1/3 की 9 बीघा भूमि जो स्वयं के पास रखी थी वह अपनी तथाकथित पत्नी मामकोरी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इंतकाल संख्या 229 के विरूद्ध अपील करने का अधिकार ही नही था क्योकि चुन्नीराम ने जो वसीयत दिनांक 06.05.2006 को की और जो वसीयत सतपाल के कहे अनुसार दिनांक 20.02.2009 को उक्त दोनों वसीयतो के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 8 बीघा भूमि ही मिली हुई है जिसका इंतकाल संख्या 229 सतपाल के नाम दर्ज हुआ। इंतकाल संख्या 229 से मामकोरी को कोई एतराज नही है। चुन्नीराम ने जो वसीयत दिनांक 06.05.2006 को लिखी उसमें उसकी आयु 66 वर्ष अंकित है 80 वर्ष नही है। वह स्वस्थचित व्यक्ति का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 20.02.2009 को कूटरचित वसीयत तैयार की जो चुन्नीराम द्वारा निष्पादित नही है। चुन्नीराम द्वारा जो वसीयत दिनांक 06.05.2006 को की है उसी के आधार पर इंतकाल संख्या 229 दर्ज किया है कानून का मान्य सिद्धान्त है कि जब तक दिनांक 06.05.2006 जिसके आधार पर इंतकाल दर्ज हुए को सिविल न्यायालय शून्य घोषित नही करता तब तक अपीलांट के हक में हुआ इंतकाल निरस्त नही किया जा सकता। अपीलांट के पक्ष में की हुई वसीयत दिनांक 06.05.2006 जिसमें रेस्पोडेन्ट को भी 8 बीघा भूमि दी है को निरस्त करने का कोई सिविल वाद रेस्पोडेन्ट ने नही किया इंतकाल की कार्यवाही एक फिसीकल प्रोसीडिंग है। इसमें अधिकार तय नहीं होते है। तहसीलदार रायसिंहनगर ने इंतकाल दर्ज करते हुए अखबार में नोटिस छपाकर आपत्ति भी मांगी सभी पक्षों को सुना भी जो तहसीलदार के समक्ष मामला विवादित था जिसकी अपील सुनने का अधिकार माननीय इस न्यायालय को है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.05.2016 क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार रायसिंहनगर को कौनसी वसीयत सही है और कौन सी कूटरचित है इसे जांचने के अधिकार नहीं है और ना ही वसीयत को निरस्त या शून्य घोषित करने का अधिकार है यह अधिकार सिविल न्यायालय को ही रेस्पोडेन्ट को अगर वसीयत दिनांक 06.05.2006 से कोई एतराज है तो उसे सिविल कोर्ट में दावा पेश करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने जो मामला रिमांड करते हुए तहसीलदार को दोनों वसीयतों को जांचने का आदेश दिया है वो सही नही हैं वसीयतो की जांच करने व सही व गलत सिद्ध करने को अधिकार तहसीलदार को नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए, इंतकाल संख्या 229 दिनांक 12.05.2015

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को बहाल रखे जाने के आदेश पारित करे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.टी 2013 पेज 841, आरआरडी 2012 पेज नंबर 763, आरआरडी 2009 पेज 123, आरएलडब्ल्यू 2006 पेज नंबर 574 अवलोकनीय बताया है।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता चुन्नीराम के नाम से चक 54 एन पी तहसील रायसिंहनगर के प. सं. 247/332 मु. न. 1 में 25 बीघा नहरी खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी कुल कृषि भूमि को 1/3 हिस्सा में बांटकर दोनों पुत्रों को 8—8 बीघा व अपनी 1/3 हिस्सा 9 बीघा कृषि भूमि स्वयं के पास रखी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा एक वसीयत दिनांक 20.02.2009 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में पूर्व बंटवारा अनुसार निष्पादित की गई और अपना स्वयं का हिस्सा अपनी पत्नी मामकौरी को दे दिया गया। उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है। आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपने हिस्सा अनुसार अपनी—अपनी भूमि पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता चुन्नीराम का देहान्त दिनांक 30.08.2009 को हो चुका है। अपीलांट द्वारा फर्जी वसीयत दिनांक 06.05.2006 को तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय से मिलीभगत कर उसको अपने नाम दर्ज करवा लिया। अतिम वसीयत से पूर्व यदि कोई वसीयत लिखी गई है तो वह स्वतः शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर ने विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा वसीयत के प्रकरण में न तो वारिसान को सूचित किया है और न ही कब्जा काश्त मौके की रिपोर्ट ली गई है। अपीलांट ने फर्जी वसीयत दिनांक 06.05.2006 तैयार करवा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से की तमाम कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा जो 1/3 है, वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ बनता है। मामकौरी चुनीराम की विधिपूर्वक पत्नी है। वारिस प्रमाण—पत्र में मामकौरी पत्नी चुनीराम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष वसीयत दिनांक 20.02.2009 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया हुआ था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक सूचना दिनांक 17.01.2011 को जारी की गई थी, लेकिन उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया और दिनांक 12.05.2015 को वसीयत दिनांक 06.05.2006 के आधार पर पूर्व वसीयत के प्रकरण को अनदेखा करते हुए इंतकाल संख्या 229 दर्ज कर दिया जबकि अंतिम वसीयत दिनांक 20.02.2009 ही प्रभावी है और पूर्व की वसीयत अंतिम वसीयत के बाद स्वतः शून्य हो जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए तहसीलदार रायसिंह नगर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 229 को निरस्त कर दिया और प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 02.05.2016 उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायसिंहनगर ने वसीयत दिनांक 06.05.2006 के आधार पर इंतकाल संख्या 229 दिनांक 12.05.2015 दर्ज किया। उक्त इंतकाल संख्या 229 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपील मे निर्णय करते हुए अपील आंशिक स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 229 दिनांक 12.05.2015 को निरस्त कर तहसीलदार, रायसिंहनगर को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपील रिमाण्ड करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अंतिम वसीयत दिनांक 20.02.2009 के प्रकरण को बिना ध्यान में रखते हुए वसीयत दिनांक 06.05.2006 के आधार पर इंतकाल संख्या 229 दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है। प्रकरण में दो वसीयत में से एक वसीयत विचारधीन होते हुए, किसी एक वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2016 उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2016 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर